स्कूल शिक्षा परिवार

गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का संघ जयपुर (राज.)

न सहायता न रियायत – फिर क्यों नहीं हम स्वायत्त?

Reg. No. 395/14

Ref. No.

हेमलता शर्मा
अध्यक्ष
9887057039

अनिल शर्मा
महा सचिव
9983333844

शैलेशनाथ सिंह (एडवोकेट)
उपाध्यक्ष
8233989999

राधेश्याम मेहता
उपाध्यक्ष
9351411444

डॉ. दिलीप मोदी
उपाध्यक्ष, शेखावाटी अंचल
9829227970

पृथ्वी सिंह
उपाध्यक्ष, उदयपुर संभाग
7073950037

विपिन पोपली
उपाध्यक्ष, बीकानेर संभाग
9414137464

अर्जुन देवलिया
उपाध्यक्ष, अजमेर संभाग
9214362050

सत्य प्रकाश शर्मा
उपाध्यक्ष,कोटा संभाग
9828176025

जयशंकर त्रिवेदी
उपाध्यक्ष, जोधपुर संभाग
9414325215

राजीव शर्मा
उपाध्यक्ष, अनुसंधान प्रकोष्ठ
9413256103

शरद जोशी
उपाध्यक्ष, लीगल सैल
9950723262

श्रवण बोहरा
कोषाध्यक्ष
9829538587

रामस्वरूप शर्मा
संयुक्त सचिव
9829628481

गोपाल यादव
संयुक्त सचिव
9828499995

अनिर्बान नाग
संयुक्त सचिव, उदयपुर
8107166668

अरूण मालविया
संयुक्त सचिव, निंबाहेड़ा चित्तौड
7891282827

महेश शर्मा
संयुक्त सचिव
9252827447

अशोक महला
संयुक्त सचिव
7891043335

नरेन्द्र भाटी
संयुक्त सचिव
9460137848

दिलीप
सचिव
9829301101

महेश शर्मा
सचिव
9252827447

हेमराज
सचिव
9950061444

सविनय नोटिस दिनॉक 21.11.2015

श्रीयुत मुख्यमंत्री महोदया,

राजस्थान सरकार

विषय – शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन अनशन करने की सूचना ।

प्रसंग – वर्तमान शिक्षा मंत्री की बार–बार पैदा करने वाली अडचनो के कारण ।

महोदया,

राजस्थान के निजी क्षेत्र मे संचालित निजी शिक्षण संस्थानों को आपसे बडी उम्मेदे थी लेकिन जब से श्री वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री बने है, रोज कुछ न कुछ विपदाएँ खडी करते जा रहे है । पिछले एक साल से निरन्तर संघर्षरत रहने, जेल जाने, अनशन करने से भी हल नही निकला... बल्कि वे जानबूझ कर नित नए अडचन पैदा करते जा रहे है

हमारी निम्न मॉगे माने जाने तक शहीद स्मारक पर हम दोनो अनिश्चत कालीन अनशन सोमवार दिनॉक 23.11.2015 से करने जा रहे है –

1. फीस एक्ट पूर्णत वापस का वादा आपने 2.9.2015 की कैबीनेट मीटिग मे किया था, जिसकी सूचना सीएस साहब ने एवं अन्य मंत्रियों ने हमको दी, उसके आदेश जारी हो ।
2. गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 संशोधन हेतु प्रस्तावति अधिनियम वापस लिया जाए एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठनो को विश्वास मे लेकर ही नया अधिनियम प्रस्तावित किया जाये ।
3. आरटीई अधिनियम की धारा 30(1) की पालना मे आठवी बोर्ड परीक्षा को जिसे दक्षता परीक्षा का नाम दिया है, सभी के लिए वैकल्पिक रखा जाए ।
4. आरटीई अधिनियम के धारा 15 के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं मे एडमीशन सत्र प्रारम्भ के 6 माह तक चालू रहे , नाकि वर्तमान पॉलिसी की तरह जिसके कारण 3 लाख से अधिक बच्चे एडमीशन से वचित रह गए ।
5. भविष्य मे निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे मे कोई भी बडा निर्णय लेने से पूर्व संगठनो को विश्वास मे ले कर ही निर्णय करने का कानून बने ताकि हमे बार बार सडक पर नही आना पडे ।

हेमलता शर्मा अध्यक्ष अनिल शर्मा महासचिव

website. ww 413 Mansarovar Plazza, madhyam Marg, Mansarovar . 302020 9667550209 / 9887057039